3/6/16 पत्रा० पेश हुई। वकील पक्ष व पैरोकार सरकार उप० T.P.R. बाड़ी से प्राप्त जवाब पत्रा० का अवलोकन किया। अतः पत्रा वापी अस्वीकार किया जाता है। निर्णय प्रथम सोचिकला जजट बीकानेर पत्रावलि किया। पत्रा० फैसला शुमार करदा० दफ्तर है।

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज०